सीमस्टी हो. ही. (ही. एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) LT The Gazette of India असाधारण EXTRAORDINARY भाग 11-- लाग्य :--- उध-खण्ड (i) PART II-Section 3--Sub-section (i) प्राणिकार चे प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY नई विल्ली, बृहत्पतिबार, विसम्बर 5, 1991/अग्रहायण 14, 1918 to 450 No. 450] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1991/AGRAHAY ANA 14, 1913 \_\_\_\_\_. nan en ser freger forste de la serie d इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था वी जासी ही जिससे कि यह मलग संकलन को रूप में रचा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

म्रधि-पूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991

सा. का. मि. 725 (ग्र):---केम्द्र सरकार, महापत्तन स्थाल अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की बारा 132की उपधारा (1) के साथ पठित घारा 124 की उपचारा (1) ढांग प्रवक्त जवित्यों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और घा प्रधिनूचना के साथ संलग्ध अनुसूची में कंडला पत्तन न्यास कर्मचारो ( ध्यीहार प्रप्रिम) संगोधन वितियम, 1991 का पत्तीरंत काण है:

3183 GI/91 (1)

2. उक्त विनियम इस इाहिसूचना के मंग्कारी गजपक्ष में प्रकाणन की नारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. षी.आर.-12015/8/91----पी. ई.]

ग्रामोक जीक्षी, संयुक्त सचिव

#### **अन्**सूची

कंडला पोर्ट कर्मचारी (सौहार अग्रिम) संगोधन विनिधन, 1991

महा पत्तन स्पास अधिशियम, 1963 (1963 का 38) को धारो 28 द्वारी प्रक्ष? जिन्नयों का प्रयोग करते हुए कोडला पोर्ट का स्पासो मंडल कंडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अधिम) जिनिशम 1976को आगे संगो-फिल करने के लिए एतदबारा निम्नॉलजिक जिनियम बनाला है अर्थान :----

- 1. ये विनियम कडला पंट कर्मचारा (स्योहार अग्रिम) सणोधन विनियम 1.591 कहे जायेंगे।
- 2. ये, इन विभिधमों से संप्रधित सरकारी मनुमोदन के राजपन्न में प्रकाशन का नारीजा से लागु होंगे ।
- 3. कंडला पोर्ट कर्मचारो (ग्योहार ग्रायिम) विलियम 1978 का विनियम 3, उप विनियम (1) निम्त-सिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"3 लागू होने की सीमा. (1) जैना कि इन विनिधमों में उपयंधित है, यह प्राप्तम नृतीय श्रेणं। भयबा बतुर्थं श्रेणी पद ग्रथदा उस पद के समसुत्य पदकारी सभी कर्मबारियो (कार्य प्रभारित तथा ए प्रवर्ग के तटीय श्रमिकी महिन) की दिव, आएगा।

4. विनियम 3, उप विनियम 2 (ii) को हटाते हुए विग्रमान उप विनियम (iii), (iv) तथा (v) को कम्प्राः उप विनियम (ii), (iii) तथा (iv) के रूप में पुनः म्रोकत किया जायेगा।

5. विनियम 6 (1) में मध्य 'वार मी रुपये'' को शब्द ''छ: सी गपये'' हारा प्रसिस्थाधित किया जाएगा ।

म**चिव** कोइला पोर्टू ट्रस्ट

# MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

#### (Ports Wing)

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 5th December, 1991

G.S.R. 725(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act,

2

(1) A set of the se

1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Festival Advance) (Admendment) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule aunexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12015|8|91-PE.1]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

## SCHEDULE

Kandla Port Employees (Ves Ival Advance) Amendment Regulations, 1991.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the MPT Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the tollowing Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 namely .---

- 1. These regulations shall be called the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1991.
- 2. These shall come into force from the date of publication of the Government's approval to these regulations.
- 3. Kegulation 3, sub-regulation (1) of the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 shall be substituted by the following :---

"3. Extent of applications.

(1) As provided under these regulations, the advance shall be granted (o all employee.) (including word-charged and 'A' category shore labour) hold Class-III or Class-IV (ost or equivalent to that post."

4. Regulation 3, sub-regulation 2(ii) shall be deleted and the existing subregulations (iii), (iv) and (v) shall be re-numbered as sub-regulations (ii), (iii) and (iv) respectively.

5. In regulation 6(1) the words "four hundred rupees" shall be substituted by the words "Six hundred only".

Secretary Kandla Port Trust

Printed by the Manuarr, Govt, of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published us the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991